न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 63/2026 बउनवानी नेतराम मीना बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी मीना पाडा खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/146

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.5.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **Provide Certified copies of document of Following documents 1- jagdish meena s/o korya meena resident of gram khilchipur, sawai madhopur issued by office of sub District Magistrate, sawai madhour on 11-11-2004. 2- Certified copy of affidavit submitted by shri Dev Karan s/o Badri meena R/o Gram etawa,panhayat Ramri , teh. sawai madhopur. 3- Certied copy of Bonafied resident certicate of shri Dev Karan s/o badri meena along with his identity proof docouments. की प्रमाणित सूचना।** " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(03)(188)सूकाअ/2026/518 दिनांक 8.5.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण आपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 1528–29 दिनांक 23.12.2026 से अन्तरित किया जा चुका है तथा पुनः राजकाज रेफ. नम्बर 22057072 दिनांक 7.5.2026 द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को पुनः लिखा जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से होने के कारण उक्त सूचना अति0 जिला कलेक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner